...ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

25/225 — चेनी/तेजा

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2025/280 श्री नकी/12जर श्री	

17.6.25

चेनी बनाम तेजा (2025/280)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसे दिनांक 28.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया एवं आगामी तारीख पेशी 28.02.2025 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। जो राजस्व मंडल के द्वारा जगदीश बनाम भोपालाराम वृहद पीठ के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह मत है कि जब अपीलांट के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक उपचार उपलब्ध है तो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner